न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या 2016/00177 जिला–नागौर

फरीद खां पुत्र स्व0 पीर खां जाति देशवाली निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 90 बी(7) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित आदेश 21 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थित– 1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः–20–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष धारा 144 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1014 रकबा 26.05 बीघा सरहद डीडवाना के राजस्व रेकार्ड में प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश दिनांक 18–10–2002 की पालना में नगर पालिका डीडवाना के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2661 दिनांक 8–10–2003 को संशोधित कर राजस्व रेकार्ड में पुनः खातेदारान का नाम दर्ज करने व आदेश दिनांक 18–10–2002 के पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0दी0 अपने आदेश दिनांक 3–3–2016 से खारिज कर

दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि तहसीलदार, डीडवाना द्वारा मौजा डीडवाना के खसरा नम्बर 1414 रकबा 26 बीघा 5 बिस्वा आराजी का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ करने हेतु एवं उक्त रिपोर्ट के संबंध में रिपोर्ट करने पर प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के खातेदारान को बिना नोटिस जारी किये एवं बिना सुनवाई किये अपने आदेश दिनांक 18–10–2002 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तत सरहद डीडवाना की अन्य आराजी के साथ उक्त खसरा नम्बर की भूमि में खातेदारी अधिकार समाप्त कर राज्यहित में पुर्नग्रहित होने के फलस्वरूप राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 80 के अन्तर्गत उक्त आराजी को नगर पालिका डीडवाना का अधिकार व स्वामित्व प्रोदभूत होने से उक्त आराजी का नामान्तकरण नगर पालिका डीडवाना के नाम अंकित करने हेतु तहसीलदार डीडवाना को आदेश प्रदान किया। उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थी केपिता स्व0 पीर खां व अन्य सहखातेदारान को होने पर आदेश दिनांक 18–10–2002 के विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23–10–2010 के द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2002 को निरस्त कर आदेश दिये कि प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना अपीलार्थी की खातेदारी आराजियात को धारा 90–बी के तहत अधिग्रहत करने के जो आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये कि वह मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दे मौके पर जिस क्षेत्र में प्लाटिंग की गई है अकृषि कार्य किये गये है उस भूमि को धारा 90–बी के तहत उपरोक्त प्रक्रिया अपनाकर पुर्नग्रहण की कार्यवाही करे शेष भूमि जो कृषि कार्य के उपयोग में ली जा रही है उसे खातेदारों के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करे। उक्त आदेश पारित होने के पश्चात अपीलार्थी के पिता पीर खां का निधन होने से अपीलार्थी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया कि प्राधिकृत अधिकारी का आदेश दिनांक 18–10–2002 निरस्त हो चुका है। उक्त आदेश की पालना में नगर पालिका डीडवाना के नाम नामान्तरकरण संख्या 2661 दिनांक 8–2–2003 स्वीकृत किया है उसे निरस्त किया जाकर मौजा डीडवाना के खसरा नम्बर 1014 की पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्राधिकृत अधिकारी ने सुनवाई कर उक्त आवेदन पत्र को यह मानते हुए कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में धारा 90–बी भू–राजस्व अधिनियम को विलोपित कर धारा 90–ए प्रतिस्थापित की गई धारा 90–ए में क्षेत्राधिकार स्थानीय निकाय को

प्रदत्त होने के कारण अपीलार्थी को इस न्यायलय से कोई रीलीफ प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश दिनांक 3–3–2016 पारित कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 3–3–2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि प्राधिकृत अधिकारी डीडवाना का आदेश दिनांक 3–3–2016 अविधिक है। नगर विकास विभाग जयपुर ने इस विषय पर विधि विभाग से राय प्राप्त करने के बाद परिपत्र क्रमांक प/3/67/नविवि/3/2012 दिनांक 6–8–2012 जारी किया गया इस परिपत्र में अंकित किया गया कि दिनांक 2–5–2012 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें इन प्रावधानों को रेट्रोस्पेटिव लागू नहीं किया गया है एव ंना ही लम्बित अपील के बारे में किया गया है परिपत्र में जनरल क्लासेस एक्ट 1997 की धारा 6 व इस विषय पर पारित निर्णय जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स अम्बालाल साराभाई बनाम अमृतलाल एण्ड कम्पनी व अन्य में स्पष्ट किया गया है कि पुराने अधिनियम के तहत लम्बित प्रोसिडिंग का नये अधिनियम के लागू होने का कोईप्रभाव नहीं पडेगा और पुरानी प्रोसिडिग पूर्वानुसार चलती रहेगी। इन प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी डीडवाना के समक्ष धरा 90–ए भू–राजस्व अधिनियम 1956 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । उक्त विधिक स्थिति को नजर अन्दाज कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–3–2016 निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 23–2–2010 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा पुन्नग्रहित करनेका आदेश दिनांक 18–10–2002 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश को निरस्त करने से माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–2–2010 आज भी प्रभावी है क्योंकि उक्त आदेश की पालना अभी तक नहीं की गई है इस कारण प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–3–2016 निरस्त करे तथा तहसीलदार डीडवाना को आदेश पारित किया जावे कि मौजा डीडवाना के खसरा नम्बर 1014 पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश दिनांक 18–10–2002 की पालना में नगर पालिका डीडवाना के नाम नामान्तरकरण संख्या 2661 दिनांक 8–10–2003 को नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, को निरस्त कर मूलखातेदारान द्वारा विक्रय की गई भूमि जो क्रेता खातेदारो के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश पारित कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जो अपील पेश की गई है वह धरा 144 सीपीसी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसको सुनने व निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुसार पत्रावली का विस्तृत विवेचन

विश्लेषण कर गुणावगुण पर पारित किया गया है क्योकि धारा 90–बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को विलोपित कर 90 ए प्रतिस्थापित की गई है एवं धारा 90 ए का क्षेत्राधिकार स्थानीय निकाय को प्रदत्त किया गया है जिसके कारण जो आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुसार पारित किया गया है इसलिए अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष धारा 144 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1014 रकबा 26.05 बीघा सरहद डीडवाना के राजस्व रेकार्ड में प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश दिनांक 18–10–2002 की पालना में नगर पालिका डीडवाना के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2661 दिनांक 8–10–2003 को संशोधित कर राजस्व रेकार्ड में पुनः खातेदारान का नाम दर्ज करने व आदेश दिनांक 18–10–2002 के पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0दी0 अपने आदेश दिनांक 3–3–2016 से खारिज कर दिया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि तत्कालील संभागीय आयुक्त द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23–2–2010 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2002 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये कि वे मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दे तथा मौके पर जिस क्षेत्र में प्लाटिंग की गई है अर्थात अकृषि कार्य किये गये है उस भूमि को धारा 90–बी के तहत उपरोक्त प्रक्रिया अपनाकर पुनर्ग्रहण की कार्यवाही करे तथा शेष भूमि है जो कृषि कार्य में उपयोग में ली जा रही है उसे खातेदारान के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करे। चूंकि प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा तत्कालीन संभागीय आयुक्त अजमेर के आदेश दिनांक 23–2–2010 की पालना नहीं कर पत्रावली सीधे ही स्थानीय निकाय विभाग को स्थानान्तरित कर दी जबकि प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना को उक्त आदेश दिनांक 23–2–2010 की पालना कर पत्रावली स्थानान्तरित करनी थी। उक्त आदेश की पालना नहीं होने के कारण उक्त आदेश आज भी प्रभावी होने के कारण प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–3–2016 निरस्त योग्य है व मौजा डीडवाना के खसरा नम्बर 1014 पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश दिनांक 18–10–2002 की पालना में नगर पालिका डीडवाना के नाम नामान्तरकरण संख्या 2661 दिनांक 8–10–2003 को निरस्त किया जाने योग्य है। प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2002 से पूर्व राजस्व रेकार्ड की स्थिति बहाल की जानी अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–3–2016 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी को उनके आदेश दिनांक 18–10–2002 से पूर्व की राजस्व रेकार्ड की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर